आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख के साथ।

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,अरवल
बिहार भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 180/13–14
अवधेश मिस्त्री एवं अन्य खदेरन सिंह
आदेश

31.01.14

आवेदक अवधेश मिस्त्री वो हीरा मिस्त्री पेसरान स्व० हरिहर मिस्त्री साकिनान ग्राम जलवैया थाना कलेर जिला अरवल ने अपने विद्वान अधिक्ता के माध्यम से वाद दायर कर विवादित भूमि पर वादीगण के अधिकारों का प्रख्यापन करने का अनुरोध किया है। साथ ही विवादित भूमि का नापी एवं प्रतिवादी द्वारा वादी के भूमि पर अवैध एवं अनाधिकृत बेदखली से स्थायी रूप से रोक लगाने का अनुरोध किया हैं। विवादित भूमि जो मौजा कलेर टोला जलवैया,थाना नं० 159, थाना कलेर जिला अरवल में अवस्थित है,निम्न हैः–

खाता	खेसरा	रकवा	चौहद्दी
463	4882	कुल 07 डी० में जानिब 06 फीट चौड़ा पश्चिम से पूरब तथा 76 फीट लम्बा उतर से दक्षिण	उ०–मेधा पासवान द०– आम रास्ता पू०– प्रतिवादी प०– नीज हाजा प्लॉट वादीगण का मकान

वाद की प्रविष्टि की गई। विपक्षी की उपस्थिति हेतु प्राधिकार से नोटिस निर्गत किया गया और वाद की सुनवाई की गई।

आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) खाता संख्या 463 प्लॉट संख्या 4882 रकवा 07 डी० भूमि पर तत्कालीन भू–स्वामी द्वारा वादीगण के दादा शिवशरण मिस्त्री को बसाया गया तथा वादीगण अपने पूर्वज के जीवनकाल से प्रश्नगत् भूमि पर मकान बनाकर शांतिपूर्वक निवास कर रहे है। विवादित भूमि को छोड़कर वादीगण के दादा द्वारा मकान बनाया गया है।

(2) उपरोक्त वर्णित परती भूमि में वादीगण का आवासीय मकान के नाली का पानी का बहाव होता है तथा पूरब तरफ अपने आवासीय मकान का खिड़की खोले हुए है।

(3) नया सर्वे में भी प्रश्नगत् भूमि सह मकान वादीगण का पाया गया है तथा खतियान में वादीगण के पिता हरिहर मिस्त्री का नाम संदेह दर्ज है।

(4) वादीगण के द्वारा छोड़े गए परती जमीन से पूरब प्रतिवादी का भूमि पड़ता है जो प्रश्नगत् प्लॉट से अलग है। विपक्षीगण दिनांक 26.08.13 को ईट वगैरह मकान निर्माण की सामग्री गिराये और वादीगण को यह धमकी दिये कि तुम्हारी जमीन को हमलोग धेर लेगें।

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में मॉगे हुए अनुतोष को स्वीकृत करने का अनुरोध आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने किया है।

विपक्षीगण के विद्वान अधिवक्ता का कहना है किः–

(1) प्रश्नगत् भूमि से प्रतिवादी को कोई वास्ता या सरोकार नहीं है।

(2) प्रश्नगत् भूमि किस प्रकार वादी को प्राप्त है,उसका कोई वैधिक कागजात वादी के पास नहीं है। वादी केवल भू–स्वामी जमींदार से प्राप्त बता रहे है,जबकि इसके पक्ष में कोई दस्तावेज रिटर्न या दाखिल खारिज का कोई दस्तावेज नहीं है,जिसके आधार पर वादी के अधिकारों का प्रख्यापन किया जा सकें।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में वाद खारिज होने योग्य है।

उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं वाद में पोषित कागजातों का अवलोकन किया। विवादित भूमि पुराना सर्वे खतियान में गैरमजरूआ ठीकेदार वो कटकनेदार एवं किस्म गढहा दर्ज है। आवेदक के द्वारा न तो भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत हुकुमनामा ना हीं जमींदारी रिटर्न की कौपी और ना ही लगान रसीद की प्रति दाखिल की गई है। आवेदक द्वारा नया सर्वे खतियान की कॉपी दाखिल की गई है जो अभी फाईनल नही है और जिसकी मान्यता शून्य है। वगैरह जमींदारी रिटर्न के विवादित जमीन पर आवेदक के अधिकारों का प्रख्यापन नहीं किया जा सकता है। साथ ही अन्य अनुतोष भी स्वीकृत नही किये जा सकते है। वाद को खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित

31.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।

31.01

प्राधिकार,भूमि सुधार उप समाहर्ता,
अरवल।